

संख्या- 2/स्था0-01-20/2015.....2482 - /आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सरकार के प्रधान सचिव-सह-
सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- 2/7/15

विषय:-

समिति के समक्ष संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित मामले उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्र सं0-002, दिनांक-19.05.2015 एवं विभागीय पत्रांक 2126/आ0प्र0 दिनांक-08.06.15

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में संविदा के आधार पर 6 (छः) आदेशपाल नियुक्त हैं। भवदीय द्वारा माँगी गयी संशोधित सूचना कडिवार निम्नवत् भेजी जा रही है:-

कड़िका	उत्तर
1. प्रत्येक पद जिसपर नियोजन किया गया है, का पदनाम।	आदेशपाल
2. पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत की संख्या।	कुल स्वीकृत पद-13, संविदा पर कार्यरत आदेशपाल-6, रिक्ति-7
3. किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केंद्रीय या राज्य की योजना थी ?	गैर-योजना के अंतर्गत स्वीकृत।
4. नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह 'ग' या 'घ')।	समूह 'घ'
5. क्या यह पद स्वीकृत था? अगर हाँ तो, स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश।	स्वीकृत था।
6. क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथवा नहीं?	हाँ, रिक्ति के विरुद्ध नियोजन हुआ है। नियुक्ति पत्र संलग्न।
7. नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छायाप्रति उपलब्ध करायी	संविदा पर नियोजित आदेशपालों के लिए प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस की छायाप्रति संलग्न।

बिहार


प्र न 22-06-15 1 spe. sec. sir.docx

आपदा प्रबंधन विभाग

सं.सं.ब.ब. 16/5-3

दिनांक 2/7/15

जाय)।	
8. नियोजन हेतु चयन प्रक्रिया।	विभागीय चयन समिति द्वारा प्रतियोगिता के आधार पर।
9. पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता।	अष्टम उत्तीण (लेकिन अधिकांशतः मैट्रिक पास है।)
10. क्या नियोजन कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं।	हाँ रखते थे।
11. नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।	हाँ पालन हुआ है।
12. नियोजन हेतु नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी।	प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग।
13. उपर्युक्त 'नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी' को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति पदत थी अथवा नहीं।	समूह 'घ' के लिए विभागीय सचिव को शक्ति प्रदत्त है।
14. नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पद पर प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए)	नियोजन पत्र की छायाप्रति संलग्न।
15. प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि।	छः माह
16. प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक।	कार्य कुशलता एवं अच्छा आचरण।
17. प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना।	संलग्न है।
18. प्रत्येक पदवार मानदेय/ पारिश्रमिक/ वेतन/ Consolidated Pay इत्यादि की भुगतेय राशि।	14,000/-रु० प्रतिमाह
19. जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी।	गैर- योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245-80-001-0002 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा
20. जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अंतर्गत इन पदों का नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उनकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ)।	नियमित स्वीकृत पद के विरुद्ध संविदा पर नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग की पत्रांक संकल्प सं० 2401 दिनांक-18.07.2007 एवं सं० 1718 दिनांक-06.05.2010 में निर्धारित प्रक्रिया के आलोक में किया गया। संकल्प की फोटो प्रति संलग्न। नियमित नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण समय-समय पर संविदा अवधि विस्तारित की गयी है।


 2/8/15
 सरकार के विशेष सचिव
 आपदा प्रबंधन विभाग

****ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।**